जिला दण्डाधिकारी-सह-उपायुक्त का कार्यालय, जामताड़ा (झारखण्ड)
(गोपनीय शाखा)

संयुक्त आदेश संशोधन

COVID-19 के संक्रमण का भारत में संभावित प्रसार एवं प्रादुर्भाव को देखते हुए इसकी रोकथाम हेतु दिनांक 24.03.2020 को भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा दिनांक 25.03.2020 से अगले 21 दिनों तक **कतिपय आवश्यक सेवाओं को छोड़कर** सम्पूर्ण भारत में Lock Down घोषित किया गया है, उक्त Lock Down से संबंधित प्राप्त दिशा-निर्देशों के आलोक में इस कार्यालय द्वारा संयुक्त आदेश संख्या 151 गो0(आ0) दिनांक 24.03.2020 निर्गत है जिसके द्वारा फल, सब्जी, दूध की बिक्री का समय प्रतिदिन प्रातः 08.00 बजे से 11.00 बजे तक तथा राशन की दुकान का समय अप0 02.00 बजे से संध्या 06.00 बजे तक निर्धारित किया गया है।

माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड सरकार, श्री हेमंत सोरेन द्वारा प्राप्त निर्देश के आलोक में उक्त संयुक्त आदेश संख्या 151 गो0(आ0) दिनांक 24.03.2020 में आंशिक संशोधन करते हुए जामताड़ा जिले में फल, सब्जी, दूध तथा राशन की बिक्री हेतु समय दिनांक 27.03.2020 से Lock Down अवधि/ अगले आदेश तक **प्रतिदिन प्रातः 06.00 बजे से संध्या 06.00 बजे तक पुनर्निर्धारित किया जाता है।**

शेष यथावत रहेंगे।

सभी संबंधित स्थलों पर प्रतिनियुक्त पुलिस पदाधिकारी एवं दण्डाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि उक्त अवधि में वर्णित वस्तुओं की बिक्री निर्धारित समानुसार ही हो तथा लोगो का अनावश्यक भीड़-भाड़ न होने पाय, इसका कड़ाई से अनुपालन करायेंगे। साथ ही खरीददारी के समय COVID-19 के संक्रमण से बचाव हेतु सभी निधार्रित उपायों/ निर्देशों/ मानकों (यथा सामाजिक दूरी, हैण्ड वांशिग/ सेनेटाईजिंग/ मास्क का उपयोग आदि) का अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे। उक्त निर्देशों का उल्लंघन करनेवालों विक्रेताओं/ व्यक्तियों के विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाय।

27/3/2020
पुलिस अधीक्षक,
जामताड़ा।

27/03/2020
उपायुक्त,
जामताड़ा।

ज्ञापांक 164 गो(आ0) दिनांक 27/03/2020

प्रतिलिपि :- उप विकास आयुक्त, जामताड़ा/ अपर समाहर्त्ता, जामताड़ा/ अनुमण्डल पदाधिकारी, जामताड़ा/ अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, जामताड़ा/ नाला/ पुलिस उपधीक्षक (मु0)/ साईबर/ सिविल सर्जन, जामताड़ा/ जिला आपूर्ति पदाधिकारी-सह-जिला परिवहन पदाधिकारी, जामताड़ा/ सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/ सभी अंचल अधिकारी/ जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी, जामताड़ा/ कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत जामताड़ा/ नगर परिषद मिहिजाम/ सभी प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी/ पदाधिकारी/ सभी पुलिस निरीक्षक प्रभाग/ थाना प्रभारी/ परिचारी प्रवर/ अन्य संबंधित को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- परियोजना निदेशक, आईटीडीए, जामताड़ा-सह-वरीय प्रभारी (COVID-19) को निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण हेतु प्रेषित।

27/3/2020
पुलिस अधीक्षक,
जामताड़ा।

27/03/2020
उपायुक्त,
जामताड़ा।